तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उप० वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल की। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर अभिलेख दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर, नदबई (भरतपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः– 127/2022

1. गव्बरसिंह
2. वीरी सिंह पुत्रान अमरसिंह जाति जाटव निवासी अंधियारी तहसील उच्चैन।

.........वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन।

.........प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट

दिनांकः–27.05.2025

निर्णय

वादिनी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खाता संख्या 356, 359, 355, 215 बाके ग्राम अंधियारी तहसील उच्चैन में स्थित है जो कि वादीगण को जरिये विरासत अपने पिता से प्राप्त हुई है। वादी के पिता के विरासत का दाखिल खारिज नामन्तरकरण सं 967 इिलरंक 8.6.1992 के समय सहवन से वादीगण का मुहबोला नाम कमसः कपूर चन्द एवं वीरेन्द्र सिंह गलत दर्ज हो गया है। जब दिनांक 3.6.2022 को वादीगण कृषि कार्य हेतु लोन हेतु पटवारी हल्का अंधियारी से फाईल पूर्ति हेतु मिला तब पटवारी हल्का अंधियारी ने बताया कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम कपूर चन्द एवं वीरेन्द्र सिंह दर्ज हो रहा है। जब वादीगण ने उक्त गलत नामों की शुद्धि हेतु प्रतिवादी से निवेदन किया तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा जिसके कारण वादीगण ने यह वादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने जबाव पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम अंधियारी में जमाबंदी सम्बत् 2075–2078 में खाता सं. 215 में वादीगण का नाम कपूरचन्द पुत्र अमरसिंह एवं वीरेन्द्र पुत्र अमरसिंह दर्ज रिकार्ड है तथा वादीगण का नाम समस्त दस्तावेजों (यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मार्कशीट प्रमाण पत्र) में क्मशः गब्बरसिंह पुत्र अमरसिंह एवं वीरीसिंह पुत्र अमरसिंह लिखा गया है। मुताविक पटवारी मौके की जांच ग्रामीणों ने बताया कि अमरसिंह के पुत्र गव्वरसिंह का मुंह वोलता नाम कपूरचन्द एवं वीरीसिंह का मुंह बोलता नाम वीरेन्द्र है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में शपथ पत्र पीडब्लयू–1, पीडब्लयू–2 पेश किये है।

Bharti
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया की वादीगण का मुहबोलता नाम सहवन से पिता की विरासत के नामान्तकरण के समय राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया है। जबकि वादीगण के सही नाम गब्बरसिंह एवं वीरीसिंह है ना कि कपूर चन्द एवं वीरेन्द्र सिंह है। वादीगण का सही नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। वादपत्र, वादपत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड, वादीगण द्वारा पेश शपथपत्र वादीगण के द्वारा पेश आधार कार्ड एवं मार्कशीट आदि की फोटोप्रति का अवलोकन किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत अधियारी द्वारा प्रस्तुत सजरा एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के गलत नाम को कलमजन कर सही नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:अतः आदेश है:—

वाद पत्र वादीगण डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खाता संख्या 215, 355, 356, 359 वाके ग्राम अंधियारी तहसील उच्चैन में वादीगण के गलत नाम कपूरचन्द पुत्र अमरसिंह एवं वीरेन्द्र पुत्र अमरसिंह को कलमजन कर वादीगण के सही नाम कमशः गब्बर सिंह उर्फ कपूरचन्द पुत्र अमरसिंह एवं वीरी सिंह उर्फ वीरेन्द्र पुत्र अमरसिंह राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti
भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर उच्चैन भरतपुर
उच्चैन (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम उच्चैन

व इजलास सुश्री भारती गुप्ता (R.A.S.)

गब्बरसिंह बनाम तहसीलदार उच्चैन

दावा बाबत् धारा 88, 89 RTA

मुकदमा नं. 127/2022 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री जयप्रकाश शर्मा एड0 मिनजानिब

मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता

है व डिकरी दी जाता है कि वाद पत्र वादीगण डिक्री किया जाता है। तह0 उच्चैन को आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खाता सं0 215, 355, 356, 359 वाके ग्राम ओंधियारी तह0 उच्चैन मे वादीगण के गलत नाम कपूरचन्द पुत्र अमरसिंह एवं वीरेन्द्र पुत्र अमरसिंह को कलमझन कर वादीगण के सही नाम क्रमशः गब्बर सिंह उर्फ कपूरचन्द पुत्र अमरसिंह एवं वीरी सिंह उर्फ वीरेन्द्र पुत्र अमरसिंह राजस्व रिकार्ड मे आमल दरामद किया जावे

आज मुबलिग बाबत्

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज

की तारीख से तारीख बसूलयावी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह वर्ष

को जारी की गई।

दस्तखत GBhati
सहायक कलक्टर

ओहदा उच्चैन (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सवूत			महनताना वकील)पर.........		
महनताना वकील)पर.........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 127/2022

1. गब्बरसिंह
2. वीरी सिंह पुत्रान अमरसिंह जाति जाटव निवासी अंधियारी तहसील उच्चैन।

.........वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन।

.........प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

Bharti

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)